राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

जयपुर, दिनांक : सितम्बर 07, 2017

सं. एफ. 12(20)एफ.डी./टैक्स/2012–04:– राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग के संशोधित आदेश सं. एफ. 12(20)एफ.डी./टैक्स/2012–04 दिनांक 19.04.2017 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

राज्यपाल के आदेश से,

(शंकर लाल कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"सं. एफ.12(20)एफ.डी./टैक्स/2012–04 जयपुर, दिनांक : 19.04.2017

आदेश

राज्य मंत्रिमण्डल आदेश सं. 05/2017 दिनांक 30.01.2017 की अनुपालना में राज्य सरकार, मैसर्स सिद्धि विनायक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड के कस्टमाइज्ड पैकेज के संबंध में इस विभाग के आदेश सं. एफ.12(20)एफ.डी./टैक्स/12–30 दिनांक 12 जुलाई, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त आदेश" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

1. उक्त आदेश में, विद्यमान अभिव्यक्ति "मैसर्स सिद्धि विनायक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड" के स्थान पर दिनांक 10.06.2015 से अभिव्यक्ति "मैसर्स निरमा लिमिटेड" प्रतिस्थापित की जायेगी।

2. उक्त आदेश में, विद्यमान खण्ड 7 के पश्चात् और विद्यमान खण्ड 8 के पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड 7क अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"**7क. निबंधन और शर्ते.**– जैतारण, जिला पाली, में अवस्थित समामेलित कंपनी मैसर्स सिद्धि विनायक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसके लिए कस्टमाइज्ड पैकेज मंजूर किया गया था, के विनिर्माण, विक्रय और कर दायित्व से संबंधित लेखे, मैसर्स निरमा लिमिटेड द्वारा पृथकतः संधारित किये जायेंगें।

राज्यपाल के आदेश से,
ह0
(शंकर लाल कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव"

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सी.डी. में साफ्ट कॉपी में संलग्न प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश का असाधारण गजट के भाग 1(ख) में प्रकाशन करावें। यह भी लेख है कि इस आदेश की 10 प्रति इस विभाग को तथा 10 प्रति मय बिल के सीधे ही आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को भेजें। कृपया उपलब्ध सी.डी. का मिलान संलग्न हस्ताक्षरित अधिसूचना से मिलान कर प्रकाशन करावें।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री) महोदया।
3. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, एस.ई.सी.
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
8. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
11. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड़ करावें।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव